संख्या : 2163/दस–सं०वि०–3(1) 91

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर, 1991

विषय :– प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

महोदय,

विकास कार्यो के लिए संसाधन जुटाने एवं अनुत्पादक व्यय को रोकने के प्रयोजन से राजकीय व्यय में मितव्ययिता के विभिन्न उपाय करने के लिए विगत में समय–समय पर आदेश निर्गत किये गये हैं परन्तु इनमें निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय व्यय में हर संभव मितव्ययिता की जाय तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए निम्न निर्णयों को दृढ़ता पूर्वक कार्यान्वित किया जाय :–

(1) आयोजनेतर पक्ष के सीधी भर्ती वाले तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) एवं चतुर्थ श्रेणी के गैर–तकनीकी पद, जो रिक्त है या भविष्य में रिक्त होंगे, वे तब तक न भरे जायें जब तक उन संवर्गों में 5 प्रतिशत के बराबर पद कम न कर दिये जाये। श्रेणी–1 व 2 के सीधी भर्ती के, प्राविधिक कोटि के पदों को छोड़कर, अन्य पदों के सम्बन्ध में भी यही प्रतिबन्ध लागू होगा। श्रेणी 1 व 2 के पर्यवेक्षक कोटि के पदों को भरने का मामला (5 प्रतिशत पदों को रिक्त रखकर) सम्बन्धित विभाग के सचिव एवं विभागाध्यक्ष के विवेक पर रहेगा। पर यह प्रतिबन्ध उस दिशा में लागू नहीं होगा जहां अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए भर्ती की आवश्यकता हो।

(2) जीरो बेस बजटिंग प्रणाली के आधार पर आयोजनागत/ आयोजनेतर पक्ष के कार्यक्रम/कार्यकलापों की समीक्षा पूर्व में निर्गत विस्तृत निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से अगले 21 माहों में पूरी कर ली जाय और इसके फल स्वरूप जो बचत संभावित हो वह चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व वित्त विभाग को समर्पित कर दी जाय। इन निर्देशों के अनुपालन के लिए सम्बन्धित विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) नई गाड़ियां (रोगी वाहनों को छोड़कर) क्रय न की जाय और पुरानी निष्प्रयोज्य गाड़ियों का प्रतिस्थापन चरणों में वित्त विभाग की सहमति से ही किया जाय। यह प्रतिबन्ध उन परियोजनाओं से सम्बन्धित मोटर गाड़ियों के क्रय पर लागू न होगा जिनका पूरा व्यय भारत सरकार वहन करेगी।

(4) आवासीय टेलीफोन नये वेतनमान रु० 3700-5000 से कम के अधिकारियों को अत्यन्त ही विशेष परिस्थिति में स्वीकृत किये जायं। वर्तमान में आवासीय टेलीफोन के लिए जो काल्स शासन द्वारा निर्धारित हैं, उसी सीमा तक ही व्यय शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

(5) वायुयान/वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी से यात्रा करने के लिए वर्तमान में जो अनुमन्यता निर्धारित है उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वाह्य सेवा से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य सुविधाओं की अपेक्षा अधिक सुविधा उपलब्ध न कराई जाय।

(7) केवल उन प्रशिक्षणों को छोड़कर जो अनिवार्य हैं अन्य प्रशिक्षणों एवं सेमिनारो आदि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित न किया जाय।

(8) शासकीय विभागों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला सजावटी विज्ञापन एवं प्रचार, यह वह व्यावसायिक प्रोत्साहन के लिए नहीं है, तत्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है। अन्य विज्ञापन जो अति आवश्यक समझे जायें विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत किये जायेंगे और यदि कोई विशेष प्रचार/विज्ञापन अभियान चलाना हो तो वह मुख्य मंत्री जी के पूर्वानुमादन से किया जाये। पर यह प्रतिबन्ध ऐसे विज्ञापनों पर लागू न होगा जो सेवा सम्बन्धी प्रकरणों और नियुक्तियों आदि से सम्बन्धित है और जो विधिक रूप से आवश्यक हैं।

(9) भारत सरकार में लंबित मामलों का अनुश्रवण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिकारी/कर्मचारी बार–बार दिल्ली न जाय और न ही प्रदेश के अन्य जनपदों से बार–बार लखनऊ मुख्यालय पर आयें। दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों के अधिकारी, कर्मचारी सम्बन्धित विभागीय सचिव/ विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से ही करें। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों/नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाय।

(10) सरकारी वाहनों में पेट्रोल व डीजल की खपत वर्ष 1991-92 में वर्ष 1989-90 की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम की जाय।

(11) पेट्रोल तथा डीजल की खपत में उपरोक्त कमी को सुनिश्चित करने के लिए इस मद हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि न तो अनुपूरक के माध्यम से और न ही पुनर्विनियोग द्वारा अन्य किसी मद से उपलब्ध कराई जाय। इस प्रयोजन हेतु पुनर्विनियोग के, जो भी अधिकार वर्तमान में विभागाध्यक्षों तथा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त हैं वे तात्कालिक प्रभाव से वापस लिये जाते हैं।

(12) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या–350/ 44-2-26, दिनांक 15 अप्रैल, 1991 में यह व्यवस्था है कि शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव केवल एक ही शासकीय वाहन का प्रयोग करेंगे। जहां राज्य सम्पत्ति विभाग या सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा स्टाफ कार उपलब्ध कराई गई है उन विभागों के सचिवों द्वारा निगमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की गाड़ियों का प्रयोग

किसी भी दशा में न किया जाय, भले ही वे अपने नियंत्रणाधीन एक या उससे अधिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरण/परिषदों में अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल के सदस्य का कार्य भार संभाले हों।

(13) नव वर्ष अथवा अन्य उत्सवों पर शासकीय खर्चे पर बधाई संदेशों को भेजने, कलेंडर, डायरी, शुभकामना संदेशों तथा पर्सनल लेटर आदि के मुद्रण, वितरण एवं अन्य किसी सामग्री आदि के वितरण को तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है। यह निर्देश शासकीय विभागों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होंगे।

(14) सरकारी विभागों एवं कार्यालयों द्वारा शासकीय व्यय पर सभी प्रकार के मनोरंजनों को प्रतिबंधित किया जाता है। पर अनिवार्य परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन के पश्चात् ही उसे किया जाय।

(15) केवल इस कारण कि पदधारक बदल गया है, नया फर्नीचर व साज–सज्जा की व्यवस्था न की जाय तथा इस सम्बन्ध में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाय। फर्नीचर व अन्य साज–सज्जा इत्यादि के क्रय की स्वीकृति धन के पुनर्विनियोग द्वारा (आयोजनेत्तर/आयोजनागत) उपलब्ध कराने हेतु जो प्रतिनिधिन/अधिकार इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त हैं उन्हें तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(16) यात्रा व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता बरती जाय। शासकीय कार्य के लिए की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही सीमित रखा जाय और जहां तक संभव हो केवल अत्यन्त ही आवश्यक व्यक्तियों को ही अखिल भारतीय सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों और बैठकों आदि में भाग लेने के लिए भेजा जाय। सरकारी दौरों में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारी अपना परसनल स्टाफ साथ न ले जायं। यह प्रतिबन्ध दिल्ली यात्रा के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

(17) सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि द्वारा नये अतिथि गृह न खोले जायं और वर्तमान में चल रहे अतिथि गृहों को भविष्य में चलाये जाने के सम्बन्ध में अतिशीघ्र मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। नये अतिथि गृहों को, यदि वे अत्यन्त आवश्यक हैं, मुख्य मंत्री जी के पूर्वानुमोदन के पश्चात् ही स्थापित किया जाय।

(18) यात्रा व्यय आदि में बचत के उद्देश्य से मण्डलीय स्तर पर बैठकों को युक्तिसंगत (Appropriate) रखा जाय।

(19) शासन के उच्च स्तर जहां कार्यहित में आवश्यक हो जिलाधिकारी एवं जिला पुलिस प्रमुख (पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) के अलावा अन्य अधिकारियों के आवास पर एक से अधिक फोन की सुविधा उपलब्ध न कराई जाय और यदि एक श्रोत से एक फोन की सुविधा आवास पर उपलब्ध है तो किसी अन्य श्रोत से अतिरिक्त फोन सुविधा उपलब्ध न कराई जाये। वर्तमान में जहां आवास पर अतिरिक्त फोन सुविधा उपलब्ध है उसे तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

2- उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ–साथ समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकरणों तथा राज्य विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे।

3- पूर्व में उपर्युक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों आदि को इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 2163/(1)/दस–सं०वि०–3(1)/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों को (दस अतिरिक्त प्रतियों सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन विभिन्न विभागों और अपने विभाग से सम्बन्धित स्थानीय निकायों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को इस शासनादेश की प्रतिलिपि भेजकर सुनिश्चित कर लें कि उनमें भी इसका कड़ाई से पालन किया जाय।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव,वित्त आयोग।

संख्या 2163/(2)/दस–सं०वि०–3(1)/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2- समस्त कोषाधिकारी।
3- महालेखाकार–I व 2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
5- समस्त कुल सचिव, राज्य विश्विद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव,वित्त आयोग।